IS 15700:2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

IS 15700

SQMS

संख्याः /सामान्य/पर्यावरण/2014 दिनांकः

सेवा में,

1. समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त जोन।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक।
4. सहायक निदेशक (उद्यान)
5. विशेष कार्याधिकारी, समन्वय अनुभाग/अधिशासी अभियन्ता (अनुरक्षण) मुख्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

विषयः **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित ''पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण समिति'' के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी औरैया के माडल योजना अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के संबंध में।**

महेदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–70/सामान्य/पर्यावरण/2014 दिनांक 07.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डॉ0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष, समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियन्त्रण समिति उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–36(34) पर्या0/2013 दिनांक 27.05.2013 के साथ प्राप्त संलग्नकों की छायाप्रतियाँ संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में उक्त समिति से ईमेल के माध्यम से प्राप्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं शासनादेश की छायाप्रति इस आशय से संलग्न प्रेषित है कि कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम मे निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (18 नग)

भवदीय

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

1180 13 मार्च

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः– दि. 24.3.2014

1. सदस्य सचिव (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
2. डा0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियन्त्रण समिति उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा दे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार–(18 नग)

21/3/14

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

3/14

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग

डायरी अभियंत्रण अनुभाग
डायरी सख्या 1355
दिनांक 06.03.14

1. [illegible] आवास आयुक्त, [illegible]
2. मुख्य [illegible] नियंत्रक।
3. [illegible]
4. [illegible] अभियंता निदेशक / अधिशासी अभियंता / [illegible] निदेशक [illegible]
5. [illegible] आवास आयुक्त / सहायक आवास आयुक्त / सम्पत्ति प्रबन्धक।
6. सहायक निदेशक (उद्यान)।
7. [illegible] अनुभाग / अधिशासी अभियंता अनुरक्षण मुख्यालय।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित "पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण समिति" के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी औरैया के माडल योजना अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया डा0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष, समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति, उ0प्र0 शासन लखनऊ, कैम्प कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक 30/पर्या0/2013 दिनांक 26.12.2013 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित "पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति" के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने के संदर्भ में है।

अतः उक्त पत्र की संलग्नकों सहित छाया प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार 04 नग।

भवदीय

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

पृ0सं0: /उक्त/ दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. डा0 के0एन0 सिंह, अध्यक्ष, समिति एवं योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति, उ0प्र0 शासन लखनऊ, कैम्प कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के प्रेषित कि आपके पत्र के साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं शासन के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः कृपया मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि इसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करा दें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार 04 नग।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

सम्बंधित कॉपी के माध्यम से Email से प्रेषित

E.E. (HQ) / श्री रामनरेश यादव

06-3-14

S.E. (P) 06/03/14

7/3/14

http://f4check.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/oreder_of_avp.bmp.bmp?login=upavp_secretarycamp&session_id=4L24PK1KBKU2fQMnMceADDgC2Z0whqGV&f... 1/1

Healthy Human & Environment By Green Herbs

हरी जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं स्वस्थ पर्यावरण
पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति
(पर्यावरण विभाग की उच्चाधिकार कमेटी)

एस.बी. श्रीवास्तव
राष्ट्रीय कोआर्डीनेटर
(केन्द्र सरकार के समस्त विभागों में समिति द्वारा संचालित कार्यक्रम) एवं
राष्ट्रीय अध्यक्ष : सेन्ट्रल वेलफेयर फेडरेशन ऑफ इण्डिया
वेलफेयर मेम्बर : सी.जी.एच.एस. एडवाइजरी कमेटी कानपुर मुख्यालय
राष्ट्रीय संयोजक/संरक्षक : नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम बी.एस.एन.एल. इम्पलाईज (रजि0 सं0 आर.टी.यू./11/एन.डी. डी.) अन्डर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926
राष्ट्रीय अध्यक्ष : दबौली वेस्ट आदर्श विकास समिति (रजि0 सं0 438)

मुख्यालय
म.सं. 73, एम.आई.जी.-3,
दबौली वेस्ट, कानपुर ।
मो0 : 09473575127
E-mail : sbsrivastava56@gmail.com

पत्रांक : प0र0प्र0नि0स0/प्रशासनिक पत्राचार/2013-2014 दिंनाक :

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में गठित 'पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति' के अर्न्तगत समस्त केन्द्रीय एवं राजकीय शिक्षण संस्थानों, विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय क्षेत्र में प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी, औरेया माडल योजना अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के सम्बन्ध में 'ग्रीन हर्बल हेल्थ सेंटर योजना के अर्न्तगत' 'धन्वन्तरि एवं नवगृह वाटिका' लगवाने हेतु ।

'केन्द्र एवं राज्य सरकारों के समस्त विभागों एवं प्रतिष्ठानो, पी.एस.यूज. इत्यादि में' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एतिहासिक पर्यावरण रक्षा सम्बन्धी आदेश सं0 865 दिंनाक 18.12.2003 के अनुपालन में समस्त केन्द्र सरकार, समस्त केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों, राजकीय शिक्षण संस्थानों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, समस्त गैर सरकारी संस्थानों (एनजीओज) आयोगों, परिषदों, आवासीय क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक को 'पर्यावरण की शत् प्रतिशत सुरक्षा व प्रदूषण को शून्य करने के लिये दिशा निर्देश हैं जिसे हम सबको कर्तव्य एवं धर्म मानकर पृथ्वी की रक्षा हेतु दिंनाक 05.06.2013 विश्व पर्यावरण दिवस पर शपथ लेकर दृढ़ संकल्प के साथ इस पुनीत कार्य को मिशन मानकर तन-मन व जन सहयोग से पूरा करना है । हमारी नदियों में भी जानलेवा प्रदूषण है जिससे स्वंय मानव एवं जीव जन्तु मर रहे हैं । जबकि प्रदूषण फैलाने में सर्वाधिक मानव ही जिम्मेदार है । इसलिये मानव को ही सर्वाधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी एवं भविष्य की आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ पर्यावरण में स्वस्थ जीवन बिता सके अन्यथा प्रदूषित वातावरण में शुद्ध पर्यावरण खरीदने से भी नही मिलेगा । समस्त विभागों की खाली पड़ी भूमि में 'धनवत्नरि एवं नव गृह वाटिका' संलग्न सूची अनुसार लगवायें ताकि पर्यावरण

.....2/

शुद्ध हो सके । जीवन के लिये लाभकारी जड़ी बूटियां स्वास्थ रक्षा हेतु मिल सकें ताकि हम स्वास्थ रक्षा कर सकें, जब निरोगी हो यदि दुर्भाग्य से रोगी हो जाये तो असाध्य रोगो को इन्हीं जड़ी बूटियों से बिना धन खर्च किये निजात पा सकते हैं । अनेकों कल्याणकारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिन्हें जीवन पर्यन्त खाने से निरोगी काया रखी जा सकती है । जैसे कि चार-पांच हरे पीपल के पत्ते व एक मुट्ठी भर लटजीरा पत्ते (अपामार्ग) को सुबह शाम चबाकर खाया जाये तो समस्त रोगो से अपने शरीर की रक्षा की जा सकती है ।

आप सबसे अनुरोध है कि अपने व अपने परिवार के जीवन की रक्षा हेतु इस पुनीत कार्य में प्रतिज्ञा करके जुट जायें । राजकीय भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित विभाग का ही रहेगा किन्तु पेड़ पौधों का स्वामित्व जनहित में योजना का रहेगा ताकि जनता को इसका लाभ निःशुल्क दिया जा सके । इस मिशन में प्रत्येक विभाग व व्यक्ति को उत्तम कार्य के लिये पुरस्कार भी दिया जायेगा तथा एक प्रशस्ति पत्र भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संलग्नकों में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा ।

संलग्नकों में दिये गये सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन अपने विभाग में कृपया कराने की व्यवस्था करें तथा पत्र प्राप्ति के दो सप्ताह में पूर्व अनुपालन आख्या सूचित करने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके । इसके अतिरिक्त अनुरोध है कि अपने विभाग द्वारा सेमिनार उक्त विषय में आयोजित करने हेतु दिन, दिनाक व समय की सूचना देने की व्यवस्था करें ।

भवदीय

(एस.बी. श्रीवास्तव)
राष्ट्रीय कोआर्डीनेटर
पर्यावरण रक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्रतिलिपि :
समस्त केन्द्रीय सरकार, समस्त राज्य सरकारें, सभी केन्द्रीय प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय पी.एस.यूज., समस्त राजकीय एवं केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों, केन्द्रीय एवं राजकीय समस्त आयोगों, परिषदों, आवासीय क्षेत्रों में, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज) व मीडिया को सूचनार्थ निवेदन के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सं0 865 दिनाक 18.12.2003 का अनुपालन सुनिश्चित कराने का संकल्प लें जो राष्ट्र हित में होगा ।

सेवा में,
माननीय श्री / श्रीमती .....
.....
.....

" हरी जड़ी-बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण "
" Healthy Human & Environment By Green Herbs "

ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना

पर्यावरण विभाग
पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति
उ0 प्र0 शासन, लखनऊ, Email - ghhcy_kanpur@reddifmail.com, 7505853812
कैम्प कार्यालय - उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ

[illegible] - 96/पर्या./2012 [illegible] - 14.06.2012

[illegible] सचिव (प्रभारी)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ ।

विषय - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन मे गठित " पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण समिति " के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानो विभागो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानो एवं आवासीय क्षेत्रो मे प्रत्येक प्रदूषण को निर्मूल करने तथा जिलाधिकारी [illegible] के [illegible] अनुपालन आदेश के समानुपालन कराने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या- 637/55-पर्या.- 2012, दिनाँक- 19.04.2012 व अपने बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या - [illegible] 04053/सी-2 [illegible] उ0 प्र0 शासन / 12, दिनाँक- 06-05-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त शासनादेश के अनुपालन मे "स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रत्येक प्रदूषण जैसे कि- भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, इत्यादि को शून्य करने हेतु शिक्षा/ प्रशिक्षण, जन-जागरण अभियान, जनहित मे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मे नियमित विज्ञापन, होर्डिंग लगाकर दिशा-निर्देशो का प्रचार-प्रसार, प्रत्येक शिक्षण संस्थान, विभाग, आवासीय क्षेत्र-वार्ड या ग्राम पंचायत, सार्वजनिक प्रतिष्ठानो मे त्रैमासिक वाद-विवाद प्रतियोगिता व पुरस्कार वितरण" आदि संबंधित विभाग के खर्च पर कराना होगा । वार्षिक पुरस्कार प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर भी विभाग/संस्था/व्यक्ति/प्रतिष्ठान इत्यादि को प्रदान किया जायगा जिसका नाम "पर्यावरण रत्न" होगा । सभी अपने कार्यालय गेट/फाइल/पत्र/लेटर पैड मे हरे रंग से पर्यावरण स्लोगन "हरे पेड़-पौधो से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण" व अंग्रेजी मे "हेल्थी ह्युमेन एण्ड इनवॉयरन्मेंट बाई ग्रीन हर्ब्स" लिखें व दूसरो को प्रोत्साहित करें । सभी शिक्षण संस्थान, विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठान व आवासीय क्षेत्र खुले मे तथा सड़क के किनारे किसी प्रकार का कूड़ा, गंदा जल, [illegible], मेडिकल कूड़ा इत्यादि न डाले तथा गाय-भैंस का चट्टा, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बड़ी संख्या मे जानवर या पक्षी पालन व घूर (कूड़ा) डालना आवासीय क्षेत्र से दूर करें अन्यथा उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी राजाज्ञा व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा, आर्थिक दण्ड उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्धारित [illegible] खाते मे जमा करा कर दोषियो को दण्डित कराया जायेगा । कोई भी यदि शासनादेश का दुष्प्रचार या जनता को गुमराह करेगा तो उसे भी इन्हीं धाराओं दण्डित कराया जायेगा । कृपया इस पत्र को उक्त शासनादेश, जिलाधिकारी औरैया के पत्रांक ग्री0 ह0 हे0 से0 यो0 स्था0/2010/ ओ0 एस0 डी0– 209, दिनाँक 15.03.2010 के समानुपालन हेतु व संलग्नकों सहित अपने समस्त क्षेत्रीय अधिकारियो एवं प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों/मंडलायुक्तों को सूचनार्थ एवं समानुपालन कराने सहयोग हेतु प्रेषित कर हमारे अधिकारियो व कर्मचारियों हेतु पूर्वादेश अनुसार कार्यालय/आवास इत्यादि दो सप्ताह मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संबंधी आदेशों का अनुपालन शत्-प्रतिशत् कराया जा सके । इस पत्र को क्षेत्रीय अधिकारियो को प्रेषित कर निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसे अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उद्योग-बन्धु के माध्यम से सभी जिला-स्तरीय विभागो व उनके अन्तर्गत उद्योगों, अस्पतालों, चट्टा वालों, सुअर - मुर्गी पालन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लिखित प्राप्त करा कर शासन को प्राप्ति की पूर्ण अनुपालन आख्या दो सप्ताह मे प्रेषित करने का कष्ट करें । कृपया इसे संलग्नकों सहित वेबसाइट में अवश्य अपलोड कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(डा के एन सिंह)
अध्यक्ष – समिति एवं योजना निदेशक

पत्रांक- 36(34)/ पर्या./2013, दिनांक- 27-5-2013

प्रतिलिपि:- 1. सचिव/अनुसचिव, पर्यावरण विभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ को बोर्ड मुख्यालय एवं समस्त शासन स्तर के विभागो, जिलाधिकारियों / मंडलायुक्तों, आयोगो/संस्थानो/परिषदो इत्यादि को यह प्रेषित कर शून्य प्रदूषण [illegible] प्राप्त कराने हेतु कार्यवाही कराने हेतु । श्री एस. पी. श्रीवास्तव, मेम्बर पेलफेयर-[illegible]

2. राष्ट्रीय संयोजक एवं संरक्षक, एन. एफ. टी. आई. नई दिल्ली / राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेन्ट्रल वेलफेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया को समस्त विभागों में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुसरण इस पत्र के समान "पूर्ण अनुपालन कार्यालयों व आवासीय परिसरों" में "पर्यावरण रक्षा व प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र" खुलवाकर कराने हेतु "राष्ट्रीय को-आर्डिनेटर" बन कर सहयोग करने हेतु प्रेषित ।

(डा. के. एन. सिंह)
अध्यक्ष – समिति [illegible]

"हरी जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण"
"Healthy Human & Environment By Green Herbs"

5

ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ,

मोबाइल नं0-7505853812 [redacted] e-mail - ghhcy_kanpur@rediffmail.com

पत्रांक- /ग्री0ह0हे0से0यो0स्था0 / 2012 दिनांक-28 / 5 / 2012
27-5-2013

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्री एस. बी. श्रीवास्तव - योजना के राष्ट्रीय को-आर्डिनेटर
मेम्बर वेलफेयर - सी. जी. एच. एस.
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेन्ट्रल वेलफेयर
फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली,
राष्ट्रीय संयोजक एवं संरक्षक - एन. एफ. डी. बी. ई.

विषय- वर्तमान समय में फैले समस्त बुखार, डायरिया, कालरा इत्यादि के लिए हरे पेड़–पौधों से सम्पूर्ण बचाव एवं सफल इलाज को गांव–गांव तक प्रदेश भर में प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में फैले विभिन्न रोगों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करने में कठिनाई से चिकित्सक उपाय कर पा रहे हैं। भारतीय आदिवासी चिकित्सा पद्धति में हरी जड़ी–बूटियों से सीधे उपचार करने के विभिन्न फार्मूले बनाये गये हैं जिनमें कुछ भी शुल्क नहीं लगता है तथा सभी पद्धतियों की तुलना में शीघ्रता से रोगों का जड़ से उपचार होता है एवं कुछ जड़ी–बूटियां सेवन करते रहने से रोग ही उत्पन्न नहीं होते हैं। कृपया निम्नलिखित रोगों के उपचारों को प्रचारित कराने का कष्ट करें– 1. समस्त बुखार– वयस्कों के लिए 3–4 बड़े हरे पीपल के पत्ते, दो काली मिर्च, एक छोटी पीपल तथा कोई भी कम्पनी का त्रिफला चूर्ण एक चम्मच सेवन करने से एक बार में बुखार ठीक होता है व भूख भी लगती है। यदि सप्ताह में 3–4 बार इसे खाया जाये तो कोई भी बुखार किसी प्राणी को हो ही नहीं सकता। रोगी को इस खुराक को सुबह नाश्ते से पहले व शाम को भोजन उपरान्त खाना चाहिए तथा खूब पानी पियें। दस साल या इससे छोटे बच्चों को उक्त खुराक की आधी मात्रा दी जा सकती है। इसके साथ आधी या एक मुट्ठी हरे लठजीरा के पत्ते भी मिलने पर सेवन किये जा सकते हैं। 2. डायरिया – वयस्कों को एक मुठठी अनार के हरे पत्ते या आधा पत्ता सफेद मदार का खिलाने से तत्काल डायरिया व किसी प्रकार की फूड प्वाइज्निंग को ठीक किया जा सकता है। छोटे बच्चों को इसकी आधी मात्रा खिलायें। 3. कालरा – इसमें वयस्कों को एक मुठ्ठी तीन–पतिया घास (ऑक्जैलीडेसी या खट्टी घास) चीनी या गुड़ के साथ खिलाने तथा बिन्दु नम्बर 2 का उपचार दिये जाने से पन्द्रह मिनट में रोगी नियन्त्रण में आ जायेगा व एक दो घण्टे में ठीक हो जायेंगे। छोटे बच्चों को इसकी आंधी मात्रा दी जानी चाहिए।

भवदीय

(डा0 के0 एन0 सिंह)
योजना निदेशक

6.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्र सं0 / Ref. No. F04053/C-2/ NT- 3050 शासन/12   दिनांक / Dated 08.5.12

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर।

विषयः– मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में लागू की गई ग्रीन हेल्थ सेन्टर योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत पर्यावरण रक्षा व नियंत्रण हेतु जारी शासनादेश के अनुसार कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु शिक्षण और प्रशिक्षण जनहित में समस्त शिक्षण संस्थानों, विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कराने के निर्देश दिए गए हैं। डा0 के0एन0 सिंह, योजना निदेशक के संदर्भित पत्र की छायाप्रति आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि जन से सम्पर्क कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में जारी शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही के संबंध में बोर्ड मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(जे0एस0 यादव)
सदस्य सचिव (प्रभारी)

प्रतिलिपि :– अनुसचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 637/55–पर्या–2012 दिनांक 19.04.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

दि: 27.05.13,
सदस्य सचिव (प्रभारी)

संख्या: डी-2-5/13-के0स0स्वा0यो0/कान0/
"ग्रीन हेल्थ सेन्टर योजना" के पत्र को प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के0स0स्वा0यो0, वेलनेस सेन्टर, साकेत नगर, आर0के0 नगर, सिविल लाइंस, खपड़ा मोहाल, केन्द्रांचल कालोनी तथा किदवई, पाण्डु नगर, आजाद नगर एवं रतन लाल नगर कानपुर को अग्रसारित किया जाता है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस पत्र में उल्लेखित दिशा निर्देशों एवम् मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपने अपने औषधालयों / परिसर में यथास्थान क्रियान्वित करें।

अपर निदेशक
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
कानपुर

7

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया

पत्रांक : / ग्री0 ह0 है0 से0 यो0 स्था0 / 2010 / ०३D-९०२ दि0 15.03.2010

1. मुख्य विकास अधिकारी, 2. अपर जिलाधिकारी, 3. समस्त उपजिलाधिकारी,
4. पुलिस अधीक्षक 5. मुख्य चिकित्साधिकारी 6. जिला विद्यालय निरीक्षक
7. समस्त जिला स्तरीय अधि0 8. समस्त ख0 वि0 अ0 9. समस्त प्रधानाचार्य, महावि0, औरैया।

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उ0 प्र0 शासन द्वारा लागू की गयी "ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना" की स्थापना तथा पर्यावरण रक्षा हेतु संलग्न जड़ी-बूटियों की सूची अनुसार "धन्वन्तरि एवं नवग्रह वाटिका" की स्थापना के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर महोदय के पूर्व आदेशों क्रमशः 77 / शिविर / 2000 / दि0 19जून,2000 व अर्धशासकीय पत्रांक - 513 / शिविर / 2001 दिनांक 29.06.2001 के अनुपालन में सुसज्जित कार्यालय क्लीनिक कमरों, 2 -3 चिकित्सक / अधिकारी आवास, 2-3 स्टाफ आवास या अधिक "योजना नोड" में निःशुल्क आवंटन कर तथा "पूर्ण अनुपालन आख्या एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित करने" के सम्बन्ध में।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन मे सभी अस्पतालों / समस्त श्रेणी के स्कूल -कॉलेजों / ग्राम पंचायतों / कार्यालयों / औद्योगिक क्षेत्रों / सार्वजनिक पार्कों / सार्वजनिक क्षेत्रों इत्यादि में " ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना यूनिट की सुसज्जित स्थापना" की जाये तथा पर्यावरण रक्षा हेतु " धन्वन्तरि एवं नवग्रह वाटिका" नाम से ही जड़ी- बूटियों का बगीचा लगाया जाये ताकि जनता को विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय व भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति की सेवायें तथा ज्ञान / शक्ति वर्धक एवं आरोग्यकारी जड़ी-बूटियों की सेवन हेतु पूर्ति हो सके। समस्त ग्रामों में 2-3 एकड़ या अधिक से अधिक भूमि वाटिका हेतु उ0 प्र0 सरकार के स्वायत्यशासी संस्थान -- के0 जे0 इन्स्टीट्यूट ऑफ वैदिक रिसर्च , औरैया जनपद की सेवाओ एवं विकास हेतु योजना हित में अनिवार्य रूप से आवंटन कर करेंगे या किसी अन्य योजना के अन्तर्गत बगीचा लगाया जाये जिसकी भूमि व उपज का स्वामित्व संस्थान का होगा। नहरों व माइनरों के दोनों किनारों की भूमि पर इसी प्रकार औषधीय वृक्षारोपड़ इसी योजना हेतु आवंटन कर कराया जाये जिसकी उपज का स्वामित्व संस्थान का व भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। वन विभाग की भूमि जनहित में आवंटन कर औषधीय बगीचा जगह - जगह लगाया जाये जिसमें भूमि का स्वामित्व वन विभाग व उपज का स्वामित्व संस्थान का होगा। इन बगीचों को " जनता के मार्गदर्शन हेतु - मॉडल हर्बल गार्डन" नाम दिया जाये। सभी भवनों में हरे रंग से पर्यावरण स्लोगन - " हरी - जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण" लिखा जाये। योजना क्लीनिक पर साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें योजना का नाम, हरे पेड़ - पौधों से समस्त रोगो का इलाज, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण रक्षा। वाटिका में भी ऐसा ही साइन बोर्ड के साथ प्रत्येक जड़ी-बूटी के सभी नाम, उपयोग आदि नाम पट्टिका लगा कर ज्ञानवर्धन किया जाये। समस्त उक्त "योजना नोडल अधिकारी" अपने-अपने कार्यालय अधिकार क्षेत्र में अनिवार्य रूप से योजना के आदेशों का विलम्बतम एक सप्ताह में " पूर्ण अनुपालन करा कर आख्या" प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सभी महाविद्यालय व इण्टर कॉलेज, योजना निदेशक के नाम निर्धारित "योजना शुल्क पूर्ण सत्र का" योजना खाता सं. - 65034561758, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में स्टेट बैंक या अन्य बैंक के माध्यम से भी उपलब्धता के अनुसार जमा करायें। चिकित्सा स्टाफ के साथ योग प्रशिक्षक तथा समस्त शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षक व खेलकूद / शारीरिक शिक्षक इसी योजना से नियुक्त कर प्रदान किये जायेगें। समस्त विभाग योजना के अधिकारी व स्टाफ को पुलिस विभाग की तरह स्तर के अनुसार वाहन सुविधा ईंधन / चालक सहित तथा आवासों व कार्यालय / क्लीनिक कमरे आवंटित कर समस्त आवश्यक सुविधाएं समस्त विभागीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रदान करें। समस्त विभाग योजना स्टाफ को पूर्ण सहयोग प्रदान करें अन्यथा शिकायत मिलने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। मार्गदर्शन हेतु कुछ शासनादेश व पूर्वादेश समान अनुपालन हेतु संलग्न हैं जिन्हें सम्बन्धित विभाग के "योजना नोडल अधिकारी" अपने अधिकार क्षेत्र में समान रूप से जारी कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। मासिक बैठक, स्वास्थ्य गोष्ठी, ज्ञान - विज्ञान प्रतियोगितायें इत्यादि कराते रहें एवं प्रगति आख्या मुख्यालय को भेजते रहें जिसकी पत्रावली नजारत विभाग में रहेगी। बैठकों में योजना अधिकारी व स्टाफ के साथ प्रथम / द्वितीय नोडल अधिकारियों को अवश्य आमंत्रित करें।

संलग्नक -- यथोपरि

जिलाधिकारी
औरैया

हरी जड़ी बूटियों से स्वस्थ मानव एवं पर्यावरण

दिनांक: 05-07-2001।

ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर - स्थापना के साथ जड़ी-बूटियों का बगीचा लगाने हेतु पेड़-पौधों, फूलों व लताओं की सूची जिन्हें नाम पट्टिका सहित कम से कम 10 10 की संख्या में लगायें जायें साथ में "नवग्रह वाटिका" के पौधे सुख-शांति हेतु लगाएं।

===

(1) बड़े पेड़-पौधों की सूची :- बालम खीरा, हर्र, बहेड़ा, आंवला, अमलतास, अर्जुन, कंज, सहजन, ढाक, अरण्ड, करौंदा, बिजौरा नींबू, मीठी नीम, बच, पटिन, चलमोंगरा, कमेला, बीजासल, चन्दन, कुसुम, आम, अमरूद, जामुन, बेल, बरगद, पाकर, पीपल, अशोक इत्यादि।

(2) छोटे पेड़-पौधों की सूची :- लटजीरा लाल डण्डी वाला, लटजीरा सफेद डण्डी वाला, भृंगराज काला, भृंगराज हरा, गोमा द्रोण पुष्पी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, बन तुलसी, पुनर्नवा, गोखरू सादी, गोखरू चौमुखी, चिरायता, कुकरौंधा, नागफनी, बिस्मार्क, करील, सुदर्शन, अश्वगन्धा, सर्पगन्धा, घृतकुमारी मीठा, घृत कुमारी कड़वा, धतूरा हरा, धतूरा काला, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बरियारा, बारियारा, अडूसा, काली मकोई, लाल मकोई, पत्थर-चट्टा, जंगल गोभी, भू-आंवला, जंगली कुंदरू, लाल अकोड़ा, सफेद अकोड़ा, बैंगनी सदाबहार, सफेद सदाबहार, कुलिंजन, ईश्वरी, किरमाला, तगनगुर, सोमराज, कुनैन, दालचीनी, किरन तुतिया, आंबा हल्दी, केउ, तिल पुष्पी, कपास, छोटी इलायची, भुनन्जी, असमानिया, दुद्धी, हींग, हेमन्त हरित, कुटकी, मुलहठी, अनन्तमूल, कुरची (इन्द्र जौ), पारा सिकाया, नील कलमी, मेंहदी, जटामांसी, निशोथ, हरमाल, सदाबहार, गिलोय, इसबगोल, पापड़ी, बाग्ची, छोटा चाँद, रेमन्दचीनी, कुठ, खरेटी, भटकटैया (कटेरी), गिलोय, जंगली प्याज इत्यादि।

(3) फूलों के पेड़पौधों की सूची :- देशी गुलाब, गेंदा (सभी तरह के), चम्पा, चमेली, चाँदनी, कुसुम, कनेर, बेला, अगस्त, गुड़हल, कचनार तथा नर्सरी में पाये जाने वाले अन्य फूल।

(4) नवग्रह वाटिका :- के पौधों की सारिणी इस आलेख को उत्तर दिशा में करके पेड़-पौधों को दिशाओं में लगायें।

उत्तर

केतु कुश/चन्दन	गुरु पीपल/हल्दी	बुध अपामार्ग (लटजीरा)
शनि शमी/बिच्छूक	सूर्य मदार/बेल	शुक्र गूलर/सरपोंखा
राहु चन्दन/दूब	मंगल खैर/अनन्तमूल	सोम पलास (ढाक)

पूर्व

दक्षिण

परिचय

9

SCIENCE AND ENVIRONMENT ONLINE
Down To Earth

Citation:	2003 SOL Case No. 865
Decision Date: (yyyy-mm-dd)	2003-12-18
Petitioner:	M.C. Mehta
Respondent:	Union of India & Ors.
Subject:	Environmental awareness education - Supreme Court directions dt. 22.11.1991, directing the States and other authorities to create environmental awareness among the students through the medium of education ordered to be strictly implemented under the supervision of the state authorities - The agencies (NCERT) also directed to prepare a module syllabus to be taught at different grades providing for environmental awareness.

Citation: 2003 SOL Case No. 865

SUPREME COURT OF INDIA

Before:- N. Santosh Hegde and B.P. Singh, JJ.

Interlocutory Application No. 1 in Writ Petition (C) No. 860 of 1991. D/d. 18.12.2003

M.C. Mehta - Petitioner
Versus
Union of India & Ors. - Respondents

For the Appearing Parties:- C.S. Vaidyanathan, Sarup Singh, Sr. Adv., (Addl. Adv. General for Punjab) P.P. Mahotra, Sr. Advs., P.N. Ramalingam, V. Balaji, S. Wasim A. Qadri, Mrs. Anil Katiyar, Neeraj Kumar Jain, Bharat Singh, Ms. Kavita Wadia, T.V. Ratnam, Ms. Hemantika Wahi, Ms. Archna, Ms. V. Hazarika, Ms. Madhu Sharma, Ms. Sunit Hazarika. Kuldip Singh, R.S. Suri, Tara Chandra Sharma. Ms. Neelam Sharma, Gourab K. Banerjee, Saurav Agrawal, Ms. Ruby Singh [illegible], [illegible] Badrinath Babu, R.P. Goal, Anurag Sharma, Ms. Indu Malhotra, Jaideep Bedi, Ms. Ruchi Khurana, Kumar Rajesh Singh, Ms. Sunita R. Singh, B.B. Singh, Vineet Sinha, J.S. Attri, Sakesh Kumar, Satish K. Agnihotri, R.K. Rathore, Addl. Adv. Gen. Punjab, V.G. Pragasam, Vipul Maheshwari. P.K. Chakravarti, D. Stephen K. Yanthan, Ms. Krishna Sarma, Ms. Asha G. Nair, R.K. Singh, Ms. Deepa Rai, Ms. Hema Gupta, A. Mariarputham, Ms. Aruna Mathur, Y.P. Mahajan, R.K. Rathore, D.S. Mahra, J.S. Attri, Ms. A. Subhashini, Sapam Biswajit, K.N. Nobin Singh, Anil Shrivastava, Janaranjan Das, Swetaketu Mishra, Ms. Moushumi Gahlot, Wasim Quadri. Kamlendra Mishra, Rajeev Kumar Dubey, Ravindra K. Adsure, Avtar Singh Rawat, Addl. Adv. General for State of Uttranchal, Jatinder K. Bhatia, Ms. Rachna Srivastava, Prakash Shrivastava, Ms. Sushma Suri, Mukesh K. Giri, Ashok Mathur, Ms. Kamini Jaiswal, Anis Suhrawardy, Pradyot Kumar Chakravarty, Gopal Singh, K.V. Mohan, Sanjay R. Hegde. Rameshwar Prasad Goyal, Ranjan Mukherjee and K.R. Sasiprabhu, Advocates

Environmental awareness education - Supreme Court directions dt. 22.11.1991, directing the States and other authorities to create environmental awareness among the students through the medium of education ordered to be strictly implemented under the supervision of the state authorities - The agencies (NCERT) also directed to prepare a module syllabus to be taught at different grades providing for environmental awareness. [Paras 4 to 8]

JUDGMENT

1. N. Santosh Hegde, J. - All the respondents have filed their response [illegible] on the steps taken by them in implementing the orders of this Court.
2. Shri M.C. Mehta, Petitioner-in-person requested the Court to first consider the steps taken by the respondents-States in regard to the 4th direction issued by this Court as per its order dated 22nd November, 1991 and consider other directions separately on any other subsequent date.
3. The direction No. 4 issued by this Court reads thus: "we accept on principle that through the medium of education awareness of the environment and its problems related to pollution should be taught as a compulsory subject. Learned Attorney General pointed out to us that the Central Government is associated with education at the higher levels and University Grants Commission can monitor only the under graduate and post graduate studies. The rest of it, according to him, is a state subject. He has agreed that the University Grants Commission will take appropriate steps immediately to give effect to what we have said, i.e. requiring the Universities to prescribe a course on environment. They would consider the feasibility of

making this a compulsory subject at every level in college education. So far as education upto the college level is concerned, we would require every State Government and every Education Board connected with education upto the matriculation stage or even intermediate college to immediately take steps to enforce compulsory education on environment in a graded way. This should be so done that in the next academic year there would be compliance with this requirement."

4. It is seen that as per this direction this Court has directed the respondents-States and other authorities to create environmental awareness amongst the students through the medium of education. Accepting the suggestion made by the then Attorney General, this Court required the State Governments and other authorities connected with the education to introduce compulsory education on environment upto matriculation stage or even in intermediate stage in a graded way. Though belatedly, we notice from the replies filed by the respondents, some steps have been taken by the States and other authorities concerned to comply with the said directions issued by this Court.

5. However, Shri M.C. Mehta contends that the steps taken by the various States and other authorities are insufficient and not in conformity with the spirit and object of the above order of this Court. He submitted that the States and other authorities concerned should prescribe a suitable syllabus by way of a subject on environmental awareness, not only in the primary level of education but also in the higher courses leading upto even post graduate level. He submits that the University Grants Commission, NCERT and AICTE who are some of the apex bodies in prescribing and controlling educational standards should be directed to work out a proper syllabus to be taught at different levels uniformly all over the country. In the absence of such uniform prescribed syllabus in the educational institutions in various States, different institutions are adopting different methods some of which are only basic which do not fulfill the requirements of the directions issued by this Court.

6. Having heard the learned counsel for the parties and bearing in mind the burden that may be imposed on the students by introducing an additional subject, we think for the present the steps taken by the respondents as indicated in their affidavits would be accepted pending further consideration in this regard. However, to make sure that these steps taken by the concerned states are implemented without fail, we direct all the respondents-States and other authorities concerned to take steps to see that all educational institutions under their control implement respective steps taken by them and as reflected in their affidavits fully, starting from the next academic year, viz., 2004-2005 at least, if not already implemented. The authorities so concerned shall duly supervise such implementation in every educational institution and non-compliance of the same by any of the institution should be treated as a disobedience calling for instituting disciplinary action against such institutions.

7. This acceptance of an interim arrangement, however, will not prevent the respondents-State and other authorities from drawing up or of taking further steps to more effectively fulfill the objects of the directions issued by this Court earlier.

8. We also direct the NCERT which is a respondent herein to prepare a module syllabus to be taught at different grades and submit the same to this Court by the next date of hearing so that we can consider the feasibility to introduce such syllabus uniformly throughout the country at different grades.

List this matter for further orders on 14th April, 2004.
Order accordingly.

CASE NO.
Writ Petition (civil) 860 of 1991

PETITIONER:
M.C.Mehta

RESPONDENT:
Union of India & Ors.

DATE OF JUDGMENT: 18/12/2003
BENCH:
N.Santosh Hegde & B.P.Singh
JUDGMENT:
J U D G M E N T
SANTOSH HEGDE,J.

All the respondents have filed their response indicating the steps taken by them in implementing the orders of this Court.

Shri M.C.Mehta, Petitioner-in-person requested the Court to first consider the steps taken by the respondents-States in regard to the 4th direction issued by this Court as per its order dated 22nd November, 1991 and consider other directions separately on any other subsequent date.

The direction No.4 issued by this Court reads thus:

"We accept on principle that through the medium of education awareness of the environment and its problems related to pollution should be taught as a compulsory subject. Learned Attorney General pointed out to us that the Central Government is associated with education at the higher levels and University Grants Commission can monitor only the under graduate and post graduate studies. The rest of it, according to him, is a state subject. He has agreed that the University Grants Commission will take appropriate steps immediately to give effect to what we have said, i.e. requiring the Universities to prescribe a course on environment. They would consider the feasibility of making this a compulsory subject at every level in college education. So far as education upto the college level is concerned, we would require every State Government and every Education Board connected with education upto the matriculation stage or even intermediate colleges to immediately take steps to enforce compulsory education on environment in a graded way. This should be so done that in the next academic year there would be compliance with this requirement."

It is seen that as per this direction this Court has directed the respondents-States and other authorities to create environmental awareness amongst the students through the medium of education. According to the suggestion made by the then Attorney General, this Court required the State Governments and other authorities connected with the education to introduce compulsory education on environment upto matriculation stage or even in intermediate stage in a graded way. Though belatedly, we notice from the replies filed by the respondents, some steps have been taken by the States and other authorities concerned to comply with the said directions issued by this Court.

However, Shri M.C.Mehta contends that the steps taken by the various States and other authorities are

insufficient and not in conformity with the spirit and object of the above order of this Court. He submitted that the States and other authorities concerned should prescribe a suitable syllabus by way of a subject on environmental awareness, not only in the primary level of education but also in the higher courses leading upto even post graduate level. He submits that the University Grants Commission, NCERT and AICTE who are some of the apex bodies in prescribing and controlling educational standards should be directed to work out a proper syllabusIto be taught at different levels uniformly all over the country. In the absence of such uniform prescribed syllabus in the educational institutions in various States, different institutions are adopting different methods some of which are only basic which do not fulfil the requirements of the directions issued by this Court. Having heard the learned counsel for the parties and bearing in mind the burden that may be imposed on the students by introducing an additional subject, we think for the present the steps taken by the respondents as indicated in their affidavits could be accepted pending further consideration in this regard. However, to make sure that these steps taken by the concerned states are implemented without fail, we direct all the respondents-States and other authorities concerned to take steps to see that all educational institutions under their control implement respective steps taken by them and as reflected in their affidavits fully, starting from the next academic year, viz., 2004-2005 atleast, if not already implemented. The authorities so concerned shall duly supervise such implementation in every educational institutions and non-compliance of the same by any of the institution should be treated as a disobedience calling for instituting disciplinary action against such institutions.

This acceptance of an interim arrangement, however, will not prevent the respondents-State and other authorities from drawing up or of taking further steps to more effectively fulfil the objects of the directions issued by this Court earlier.

We also direct the NCERT which is a respondent herein to prepare a modu e syllabus to be taught at different grades and submit the same to this Court by the next date of hearing so that we can consider the feasibility to introduce such syllabus uniformly throughout the country at different grades. List this matter for further orders on 14th April, 2004.

4

Environment education slippage

Environmental education was mandated as a compulsory subject in all schools across the country by the Supreme Court of India in 1991 following the filing of a PIL (public interest litigation) by M.C. Mehta, India's leading environmental lawyer and recipient of the Magsaysay and Goldman awards. However environmentalists, especially those concerned with education in the country, are voicing apprehensions that the apex court's order is being shabbily implemented, if at all.

In 12,000 schools affiliated to the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education a 100 marks environmental studies (EVS) paper has been introduced in class IX for the academic year 2005-2006, starting June, in keeping with the SC order. The subject will be taught in class X in 2006-07 when students from class IX get promoted to class X next year.

According to Dr. Rashneh Pardiwala director of the Mumbai based NGO, Centre for Environment Research and Education (CERE) and former scientific advisor to the World Wild Life Fund for Nature (WWF) and Scientists for Global Responsibility (SGR), this belated and lukewarm proposal of the state examination board side-steps the apex court's order. "We have spoken to Mr. Mehta on the topic and together with him are going to continue our fight to set it right," she says.

The original Supreme Court order, issued in 1991 mandated compulsory environment education to fulfill the fundamental duty of citizens to "protect and improve the natural environment," as set out in the Constitution of India. In 2004, Mehta successfully re-petitioned the Supreme Court of India to enforce the 1991 court decision making environment studies a compulsory subject at all levels — primary and secondary — within the school system with separate time allocation. In his fight for effective environment education, Mehta has been consistently backed by CERE, which, through the data received from its on-going project 'Documenting Successful Models of Environmental Education across India' keeps him informed about implementation progress of the Supreme Court order across the country. According to Katy Rustom, a well-known Mumbai based environment activist, who co-promoted CERE with Pardiwala in 2001, environment education mandated by the apex court is currently "in a complete mess". "School managements across the country don't have a clue about what they are supposed to do and often take the easy option of dishing out perfunctory environment education to their students," she expostulates.

In its 1991 order the Supreme Court had directed the central agencies of the National Council of Educational Research and Training (NCERT), the University Grants Commission (UGC) as well as the All India Council for Technical Education to put their heads together to formulate a well-graded curriculum for schools and colleges. To this end NCERT took the assistance of NGOs, environmental educationists and other experts in the country and formulated an "action-oriented" curriculum. However, the state examination boards felt that it would be impossible to train their numerous teachers and therefore the subject should be taught through textbooks.

Explaining CERE's stand, Pardiwala says: "Good environment education requires more than providing mere scientific data on global environment problems in textbooks. Children must be taught and equipped with practical skills to lead environmentally sustainable lives from early childhood so that as adults they will incorporate environmentally sound practices and habits in their daily lives. CERE will assist Mehta and ensure that whichever board or state does not address this subject seriously is taken to task for contempt of court."

With the UN having declared the period 2005-14 as the Decade of Education for a Sustainable Future and with runaway consumerism threatening to suck the earth dry, the need for well designed syllabuses and curriculums to be implemented in letter and spirit by education institutions has become pressing. Educationists and school managements need to give this neglected subject the attention it deserves. The future of this nation as a hospitable habitation depends upon it.

Gaver Chatterjee (Mumbai)

Karnataka

15

ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना

उत्तर प्रदेश शासन,
कैम्प कार्यालय– डी०एम० कार्यालय परिसर, पोस्ट बॉक्स नं– 4, कानपुर नगर–1
☏ - 9452530122 e-mail id: ghhcy_kanpur@rediffmail.com

पत्रांक–27 / ग्री०ह०हे०से०यो०स्था० / 2012 दिनांक– 28 / 03 / 2012

सचिव
पर्यावरण विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में लागू की गयी "ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना" के अन्तर्गत पर्यावरण रक्षा व नियंत्रण औद्योगिक क्षेत्रों हेतु शिक्षण संस्थानों हेतु जारी शासनादेशों के समान कार्यवाही के संबध मे।

कृपया संलग्न शासनादेशों व प्रपत्रों का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों क्रमशः पर्यावरण व स्वास्थ्य रक्षा हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण की जनहित में समस्त शिक्षण संस्थानों विभागों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिये जारी किया है तथा योजनाबद्ध अनुपालन हेतु ग्रीन हर्बल हल्थ सेन्टर योजना का सृजन किया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में जड़ी–बूटियों का वृक्षारोपण इसी योजनी अन्तर्गत कराया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस योजना के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अधिकृत करने व क्षेत्रीय कार्यालय को भी इसे सूचित करने का कष्ट करें तो उद्योगों द्वारा अनियमितताओं की शिकायतों को दूर किया जा सकता है। जिला प्रशासन की टीम में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों को लिया गया है। जिला प्रशासन का पत्र संलग्न है क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हमारे वैज्ञानिक बैठ कर प्रदूषण नियंत्रण का कार्य कर सकते है। कृपया संलग्नकों अनुसार समस्त कार्यालय संबंधी सुविधायें निःशुल्क प्रदान करने व कार्यालय संबंधी सामग्री प्रदान करने का कष्ट करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यानयलय के आदेशों का अनुपालन सुचारू रूप से कराया जा सके।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय

(डा० के०एन० सिंह)
योजना निदेशक

19/4/2012

सदस्य सचिव (प्रभारी)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग   लखनऊः   दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में लागू की गई 'ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना' के अंतर्गत पर्यावरण सह व नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु शिक्षण संस्थाओं हेतु जारी शासनादेशों के सम्बन्ध कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा0 के0एस0 सिंह, योजना निदेशक, ग्रीन हर्बल हेल्थ सेन्टर योजना कैम्प कार्यालय, डी0एम0 कार्यालय परिसर पोस्ट बाक्स नं0-4, कानपुर नगर-1 के संलग्नक सहित पत्र दिनांक 28-3-2012 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या : 873/55–11–166(पर्या)/07
लखनऊ : दिनांक: 23 मार्च, 2011

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के सम्बन्ध में यह आवश्यक समझा जा रहा है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जानी है, उससे सम्बन्धित प्रक्रिया एवं व्यवस्था तत्काल सुदृढ़ एवं स्पष्ट की जाय। स्थायी व्यवस्था के रूप में इस अधिनियम का क्रियान्वयन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अधिनियम में दी गयी सीमाओं तथा प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। इस अधिनियम में जो उत्तरदायित्व राज्य सरकार को दिये गये हैं, उनसे सम्बन्धित कार्यवाही अधिनियम में दी गयी सीमाओं तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा पर्यावरण निदेशालय के माध्यम से की जायेगी। इस अधिनियम की मूल भावना व वृहद् स्वरूप को देखते हुए पर्यावरण निदेशालय क्रियान्वयन की समीक्षा ही नहीं करेगा, अपितु अनुभव के आधार पर नीति विषयक प्रस्ताव भी पर्यावरण विभाग को प्रस्तुत करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश निर्गत करने के प्राधिकार राज्य सरकार को सौपें गये हैं। इस उत्तरदायित्व का सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्न प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :–

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा–5 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर निरीक्षण एवं नमूना एकत्रण हेतु निम्न अधिकारियों का निगरानी दस्ता गठित किया जाता है:–
   (अ) सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित दो अधिकारी, जो क्षेत्रीय अधिकारी के स्तर से कम न हो एवं उस क्षेत्र से सम्बन्धित न हों।
   (ब) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जोनल/मण्डलीय अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, (जब भविष्य में भारत सरकार द्वारा अन्य अधिकारी प्राधिकृत किये जाते हैं तो सदस्यों का प्रमुख सचिव, पर्यावरण के स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है।)
2. इस कार्य में सम्बन्धित अधिकारियों को केवल परिवेशीय पर्यावरण स्थिति के आकलन करने का दायित्व होगा, उद्योगों एवं परियोजना परिसर के अन्तर्गत निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्राप्त शिकायत पर निरीक्षण एवं नमूना एकत्रण नियमानुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही किया जायेगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 873(1)/55–पर्या/11–166(पर्या)/07, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार)
संयुक्त सचिव ।